

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

फैक्स/  
ई-मेल

प्रेषक,

शशि भूषण तिवारी,  
सरकार के विशेष सचिव,

सेवा में,

समाहर्ता,  
खगडिया।

पटना-15, दिनांक-19/11/2015

विषय :- मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष-0104-गृह विहिन परिवारों के लिए गृह निर्माण माँग सं0-40 विपत्र कोड-पी04047007890104, विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 में कुल 4,90,88,000/- (चार करोड नब्बे लाख अठासी हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या-902(8)/रा0 दिनांक-21.07.2015 के क्रम में पीत पत्र सं0-1277(8)/रा0 दिनांक-19.11.2015 द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि 1,52,97,000/- (एक करोड बावन लाख संतानवे हजार) एवं स्वीकृत्यादेश ज्ञाप सं0-1278(8)/रा0 दिनांक-19.11.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि 3,37,91,000/- (तीन करोड सैतीस लाख एकानवे हजार) कुल 4,90,88,000/- (चार करोड नब्बे लाख अठासी हजार) रुपये मात्र सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-3346/2001 विश्वनाथ सिंह बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-20.01.2009 एवं इससे उत्पन्न अवमाननावाद संख्या-404/2010 के अनुपालन हेतु आवंटित की जाती है।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।

3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-396/वि0 दिनांक-24.04.2015 के आलोक में किया जा रहा है।

4. वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 के वजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषयशीर्ष में प्रावधानित राशि से किया जा सकता है।

5. राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

6. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय साथ ही राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भेजना सुनिश्चित किया जाय।

कू0पू0उ0

7. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,  
20/11/15  
(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के विशेष सचिव।